



नीमच की धरा पर फिल्माई गई शिक्षा की ज्योत जगाने वाली फिल्म मास्टर जी ..!

▶ 26 जनवरी को होगी रिलीज

नीमच। फिल्में अक्सर भावनाओं को उजागर करती हैं और दर्शकों को चिंतन के लिए तैयार करती हैं। शैक्षिक फिल्में वो आईना हो जो समाज में शिक्षा के महत्व को समझती है और इसे देखने से लोगों को सीख मिलती है और शिक्षकों को आत्म-जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है, साथ ही भावनाओं के माध्यम से सहकर्मियों और छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करती हैं।

शिक्षा पर आधारित फिल्में दृश्य शिक्षार्थियों के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन हैं। ऐसी ही एक फिल्म मास्टर जी (कहानी एक बदलाव की), जो कि नीमच की धरा पर फिल्माई गई है और यू-ट्यूब चैनल



पर डराजवंश क्रिएशनस के बैनर तले 26 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही है। 45 मिनट की यह शिक्षाप्रद फिल्म एक शिक्षक के संघर्ष की दास्ता को बर्णन करती है।

इस फिल्म में केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सोच, संवेदना और समाज में बदलाव लाने का माध्यम



किया गया है। फिल्म में करीब 30 स्थानीय कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन किया है और फिल्म की शूटिंग नीमच शहर के समीप गांव धनेरिया कला और लेवड़ा में की गई है। उल्लेखनीय है गत दिनों शांट फिल्म मास्टर जी का प्री-पोस्टर और टाइटल ट्रैक भी लॉन्च किया गया।



फिल्म के निर्देशक एवं निर्माता राजेश कुमार सोलंकी ने बताया फिल्म में शिक्षक के संघर्ष को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

फिल्में भावनाओं को उजागर करती हैं और दर्शकों को चिंतन के लिए तैयार करती हैं। शैक्षिक फिल्में मूल्यवान शिक्षण उपकरण हैं।

सूत्रकार एवं कृतिका सोलंकी। फिल्म का संगीत, शूटिंग एवं एडिटिंग बृंद प्रोडक्शन के बैनर तले विनोद परमार द्वारा किया गया है एवं फिल्म का निर्माण राजवंश क्रिएशन द्वारा किया गया है। फिल्म की शूटिंग लगभग पूर्ण हो चुकी है और इसे जल्द ही विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक राजेश कुमार सोलंकी ने इसे नीमच की धरा पर इसलिए शूट किया है कि यहां के स्थानिक कलाकारों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिल सके। राजवंश क्रिएशन की पूरी टीम का दिल से धन्यवाद जिन्होंने गुजरात के महानगर (अहमदाबाद) में रहते हुए भी इस फिल्म को अपने पैतृक शहर में शूट किया, ये होता है अपनी पैतृक भूमि का लगाव।

एक नजर में

मनासा में एक गो-तस्कर गिरफ्तार, छह गोवंश बरामद

नीमच। जिले के मनासा में गोवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय गोरक्षा दल और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छह गोवंश को तस्करो से छुड़ाया गया और उन्हें सुरक्षित गोशाला पहुंचाया गया। इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। यह कार्रवाई शनिवार-रविवार की दरमियानी रात मनासा-कंजार्ड मार्ग पर की गई। राष्ट्रीय गोरक्षा दल की टीम को सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन से गोवंश की तस्करी की जा रही है। सूचना पर गोसेवकों ने संधिघ वहन को रोकने का प्रयास किया, परंतु तस्कर वाहन को तेज गति से भगा ले गए और आगे सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। गोसेवकों ने तुरंत मनासा पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गोसेवकों की मदद से एक आरोपी अन्नू मेडा, निवासी मोवड़ी फलिया, जिला झाबुआ को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसका साथी दिलीप मेडा, निवासी ओसवा फलिया, जिला झाबुआ अंधेरा पाकर मौके से भाग निकला। राष्ट्रीय गोरक्षा दल के जिलाध्यक्ष लोकेश नागदा ने बताया कि मुक्त कराए गए गोवंश को धार जिले के समीप स्थित कानवन क्षेत्र में ले जाया जा रहा था। उन्होंने बताया कि कानवन में छोटी गाड़ियों से गोवंश एकत्रित किए जाते हैं और फिर उन्हें बड़े कंटेनरों में भरकर बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है। इस कार्रवाई में राष्ट्रीय गोरक्षा दल के जिलाध्यक्ष लोकेश नागदा, गोसेवक बिंदू बना, विजयपाल सिंह चंद्रवार, दीपक मोदी सहित मनासा की गोरक्षा दल की टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मनासा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपी दिलीप मेडा की तलाश शुरू कर दी है।

मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आदतन आरोपी को इंदौर के केंद्रीय कारागृह भेजा



नीमच। श्री अकित जायसवाल, पुलिस अधीक्षक नीमच के निर्देशन में श्री नवलसिंह सिंसोदिया, अति.पुलिस अधीक्षक नीमच एवं श्री रोहित राठौर अगु जायद के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिंगोली निरीक्षक भुरालाल भांभर द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आदतन आरोपी जमनालाल पिता सोहनलाल जाति धाकड उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मुहुरा पुरण थाना सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.) की मादक पदार्थ तस्करी पर रोक लगाने के लिए पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर केन्द्रीय कारागृह इंदौर भेजा गया। आरोपी जमनालाल पिता सोहनलाल जाति धाकड उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मुहुरा पुरण थाना सिंगोली जिला नीमच (म.प्र.) की मादक पदार्थ तस्करी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए स्वाफक औषधी और मन-प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण की अधिनियम के तहत आरोपी के विरुद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन जिला स्पेशल प्रॉसेक्यूटोर द्वारा जिला नीमच में माध्यम से आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर प्रस्तुत किया गया आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 05.12.2025 के पालन में आरोपी जमनालाल पिता सोहनलाल जाति धाकड को 01 वर्ष के लिए केन्द्रीय कारागृह इंदौर भेजा गया है।

ऑरेंज द वर्ल्ड' अभियान के तहत इनरहील डायमंड द्वारा जागरूकता एवं ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित



नीमच। इनरहील वलब ऑफ नीमच डायमंड द्वारा 'ऑरेंज द वर्ल्ड' अभियान के अंतर्गत स्थानीय रिमंगुड स्कूल में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में सामाजिक संवेदनशीलता, रचनात्मकता तथा जागरूक नागरिकता की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम में माध्यम से अत्युत्कृष्ट रूप में डिस्टिक्ट एडिटर डॉ. तासी रॉय यादव (भोपाल) उपस्थित रहें। उन्होंने बच्चों के बीच एक प्रभावी सैमिनार के माध्यम से महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और लैंगिक समानता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया। प्रतियोगिता में 200 से अधिक छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को वलब द्वारा सम्मानित किया गया, साथ ही सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वलब अध्यक्ष पूजा गर्ग ने बताया कि इनरहील वलब नीमच डायमंड समाज में महिला व बाल सशक्तिकरण और शैक्षिक जागरूकता के लिए निरंतर सहायक गतिविधियाँ आयोजित करता आ रहा है। विद्यालय प्रबंधन ने इस उपयोगी आयोजन की सराहना की और वलब के प्रति आभार व्यक्त किया। उक्त कार्यक्रम में वलब एडिटर शिवामी जैन, पूजा खंडेलवाल, रिंकी तापडिया, लक्ष्मी शर्मा, प्रियंका नागदा, जयंती एनिया, डिपल चांदना, नीतू पाटीदार, पायल धाडोती सहित वलब की अन्य सदस्य उपस्थित रहें।

हाड कपाने वाली ठंड गेहूं की फसल के लिए है फायदेमंद, बंपर पैदावार की उम्मीद

नीमच। गेहूं की फसल को और बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन वर्षा की आवश्यकता है। अगर सर्दियों में बारिश होती है, तो इससे सिंचाई में मदद मिलेगी और पौधों को प्राकृतिक वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कोहरे के साथ हाड कपा देने वाली ठंड से भले ही उत्तरी और पूर्वी भारत में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, लेकिन इससे गेहूं की फसल को काफी फायदा हो रहा है। खास बात यह है कि अभी तक मध्य प्रदेश, गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और से 'पीला रतुआ' रोग की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में उम्मीद का जा रही है कि इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होगी। ऐसे भी गेहूं का रकबा पिछले साल के आंकड़े को पार कर गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गेहूं का रकबा राष्ट्रीय औसत से ऊपर बढ़ गया है, जबकि राजस्थान और महाराष्ट्र में घट गया।

पीला रतुआ रोग का नहीं है कोई लक्षण

रबी सीजन में गेहूं की बंपर फसल की भविष्यवाणी की है। वर्तमान जलवायु परिस्थितियों के अलावा, उन्होंने अन्य अनुकूल कारकों जैसे धारीदार रतुआ (पीला रतुआ) रोग की अनुपस्थिति को भी रेखांकित किया है। नए सर्वे से पता चलता है कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं में पीला रतुआ रोग की कोई उपस्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि आईआईएचएबीआर ने दिसंबर के अंत में इसका सर्वेक्षण किया था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हरियाणा और पंजाब ने 80 प्रतिशत 'समय पर' बुआई पूरी कर ली है, जिससे पिछले दो वर्षों की तरह तापमान में जल्दी वृद्धि की स्थिति में फसलों के नुकसान को रोका जा सकेगा।

फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर

नीमच। फसलों को प्रतिकूल मौसम से होने वाली क्षति/उपज में कमी के कारण किसानों को होने वाली आर्थिक हानि की प्रतिक्रिया के लिये सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है।

ऋषि किसान 31 दिसंबर, 2025 तक किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकता बैंकों, सहकारी समितियों के माध्यम से फसलों का बर्मा कार्य तथा वे किसान जो सहकारी समितियों में डिफॉल्ट हो गये है या वर्तमान में समिति से लेन-देन नहीं कर रहे हैं वे किसान अग्रणी किसानों की तरह बैंक/जन्य सेवा केन्द्र एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केन्द्र के माध्यम से भू-ऋण अधिकार पुस्तिका/बी-1, बैंक खाते का पासबुक, आधार कार्ड की छायाप्रति और आधार से लिंक मोबाइल नंबर, पटवारा/सविन ग्राम पंचायत/किसान द्वारा स्वप्रमाणित फसल बुआई का प्रमाण-पत्र एवं फसलवार प्रिमियम राशि जमाकर निर्धारित तिथि तक फसल बीमा करा सकते हैं।

शहर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

- ▶ नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई
- ▶ बारादरी से बस स्टैंड तक हटाए गए तेल के कब्जे



नीमच। नगर पालिका प्रशासन ने आज रविवार को शहर में फैले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक व्यापक और सख्त अभियान चलाया। यह कार्रवाई सुबह से शुरू होकर दोपहर तक जारी रही, जिसमें बारादरी क्षेत्र से लेकर बस स्टैंड तक सड़क किनारे लगे ठेले, दुकानों के सामने बनाए गए अवैध मंच, शेड, फुड तथा रास्ते में फैले निर्माण सामग्री को हटाया गया।

मौके पर पुलिस बल भी रहा तैनात- अभियान के दौरान नगर पालिका की टीम के साथ पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी तरह की बाधा या विरोध की स्थिति उत्पन्न न हो। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से

बढ़ रहे अतिक्रमण और शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से की गई है।

पहले दिए थे नोटिस, समय सीमा पूरी होने पर की कार्रवाई-नगर पालिका प्रशासन ने बताया कि जिन व्यापारियों एवं व्यक्तियों द्वारा सड़क और फुटपाथ पर कब्जा कर दुकानें बढ़ाई गई थी या ठेले-फुड लगाए गए थे, उन्हें पहले नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी अनेक लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके चलते

आज यह कठोर कार्रवाई की गई। टीम ने कई स्थानों पर जल्दी की कार्रवाई भी की और कुछ अवैध ढाँचों को मौके पर ही ध्वस्त किया।

मुख्य मार्गों पर यातायात सुधारने का लक्ष्य-नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि शहर के कई प्रमुख मार्गों पर दुकानों और ठेलों के अतिक्रमण के कारण जगह-जगह जाम की स्थिति बनती थी। विशेषकर बारादरी, बस स्टैंड, पुराना बाजार और मुख्य चौराहों के आसपास अव्यवस्थित ठेले वर्षों से यातायात में बाधा बन रहे थे।

रात होते ही बढ़ जाता है हिंसक प्रवृत्ति के कुत्तों का आतंक ..!

नीमच। शहरी क्षेत्र में लगातार आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। इसका खामियाजा लोगों को भुगताना पड़ रहा है। कुत्तों का आतंक बढ़ते ही जा रहा है। खासतौर से रात होते ही झूंड बनाकर राहगीरों और वाहन चालकों पर हमला बोल रहे हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही इनकी हिंसक प्रवृत्ति और भी बढ़ते जा रहा है। शहर की सड़कों में रातभर इनका आतंक रहता है। इसी वजह से शहरी क्षेत्र में आए दिन लोग कुत्ता काटने का शिकार हो रहे हैं। संख्या बढ़ने के बाद भी नगर नगरपालिका कुत्तों के नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है। ऐसे में तेजगति से कुत्तों की संख्या बढ़ते ही जा रही है और इनका आतंक भी बढ़ते ही जा रहा है। रोजाना लोग कुत्ते के काटने का शिकार हो रहे हैं। शहर के कई सड़क ऐसी है, जहां पर से निकलने के दौरान कुत्ते हमला बोल देते हैं। शहर को हर गली और रास्ते पर



आवारा कुत्तों का आतंक-आवारा कुत्तों का आतंक दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शहर में कई स्थानों पर अक्सर आवारा कुत्तों के झुंडों को बैठे देखा जा सकता है। आलम यह है कि आवारा कुत्तों से परेशान होकर लोग सुबह व देर रात को घरों से निकलने लगे हैं। बस स्टैंड, कोर्ट मार्केट, अस्पताल मार्केट आदि के बीच-बाहच आवारा कुत्तों की भरमार है। ये आवारा कुत्ते अक्सर आने-जाने वाले लोगों पर झपट पड़ते हैं। कई बार ये आवारा कुत्ते एक दूसरे कुत्ते से लड़ते-लड़ते बीच सड़क में भी आ जाते हैं। जिससे

दोपहिया वाहन चालकों का इनमें उलझकर गिरने का खतरा बना रहता है। कई बार ये लोगों की बाइक या कार के पीछे भागते हैं। इस सबके बावजूद भी निगम इन कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठा रहा यूं तो कुत्ते को सबसे वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन अगर यह वफादारी भूल जाए तो जानलेवा हो सकता है। शहर के अंदर ऐसी कोई गली और मोहल्ला नहीं जहां आवारा कुत्तों का आतंक न हो। शाम ढलने के बाद शहर के गली-मोहल्लों में पैदल या दुपहिया पर निकलना शुरू करने से खाली नहीं दोपहर में भी ये कुत्ते बच्चों को निशाना बनाने से नहीं चूकते। शहर के विभिन्न सड़कों और मोहल्लों में इन कुत्तों का खौफ इस कदर छाया हुआ है कि लोग रात तो रात दिन में भी इनके झुंड को देखकर रास्ता बदल लेने में ही गनीमत समझते हैं।



मानव तस्करी में एक वर्ष से फरार दो इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार

नीमच। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल सर के द्वारा अपराधों के निचाल, 173(8) जाफो / धारा 193(9) बीएनएसएस में फरार आरोपीगणों की गिरफ्तार कर प्रकरणों के निराकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम

की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में पृथक पृथक दो पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा मुखबीर सूचना व सायबर पुलिस टीम की सहायता से एक वर्ष पुराने मानव तस्करी के अपराध कमांक 368/2024 धारा 143 (2), 318(4), 319 (2), 111 (4), 115 (2), 351(2), 3(5) बीएनएस में धारा 193 (9) बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषित इनामी 5000-5000 हेतु निर्देशित किया गया था, जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिंसोदिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बधाना श्री राधेश